राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक एफ 2 (B) (113) लेखा/नका.सा./राईस/2016–17/4672 जयपुर, दिनांक 26-5-16

आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के नियंत्रणाधीन राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस) के अधीन संचालित आवासीय विद्यालयों में उपलब्ध नाकारा/अनुपयोगी सामान के नीलामी के संबंध में जारी नीलामी विज्ञप्ति क्रमांक एफ 2 (B) (91) लेखा/राईस/सामान्य/2016/4471 दिनांक 06.05.2016 के क्रम संख्या 3 पर अंकित आवासीय विद्यालय पावटा (नागौर) की नीलामी दिनांक 26.05.2016 को निर्धारित करते हुये आदेश एफ 2 (B) (91) लेखा/राईस/सामान्य/2016/4398 दिनांक 06.05.2016 के क्रम संख्या 3 पर अंकित आवासीय विद्यालय पावटा (नागौर) में लेखा सदस्य श्री बंशीधर वर्मा सहायक लेखाधिकारी–I सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर को उक्त नीलामी कमेटी में लेखा सदस्य नियुक्त करते हुये विभागीय प्रतिनिधि के रूप में जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नागौर को नियुक्त किया गया था।

प्रधानाचार्य, राजकीय आवासीय विद्यालय पावटा नागौर ने आज दिनांक 26.05.2016 को राईस के ई–मेल आई डी पर जरिये पत्रांक 43 दिनांक 26.05.2016 से विभागीय प्रतिनिधि श्री अनील कुमार व्यास (जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नागौर), के पिताजी का देहान्त होने के कारण नीलामी में उपस्थित नही होने हेतु अवगत कराया गया।

अतः राजकीय आवासीय विद्यालय पावटा (नागौर) में उपलब्ध नकारा/अनुपयोगी सामान की नीलामी तिथि 26.05.2016 को स्थगित करते हुये दिनांक 27.05.2016 को निर्धारित की जाती है। तथा विभागीय प्रतिनिधि के रूप में जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नागौर में पदस्थापित श्री सुरेश कुमार शर्मा परिवीक्षा अधिकारी को श्री अनील कुमार व्यास के स्थान पर नीलामी कमेटी में नियुक्त किया जाता है। शेष शर्ते यथावत रहेगी।

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
एवं सचिव राईस

क्रमांक एफ 2 (B) (113) लेखा/नका.सा./राईस/2016–17/4673-80 जयपुर, दिनांक 26-5-16
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. ए.सी.पी., सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
5. जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नागौर को आपके अधीन कार्यरत श्री सुरेश कुमार शर्मा, परिवीक्षा अधिकारी को आवासीय विद्यालय में नीलामी एवं नष्टीकरण का कार्य सम्पादित करवाने हेतु निर्देशित करावें।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय आवासीय विद्यालय पावटा (नागौर) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विभाग के पूर्व पत्रांक 3555 दिनांक 19.02.2016 एवं 3760 दिनांक 10.03.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुए उपरोक्त आदेशानुसार नीलामी एवं सामान को नष्टीकरण करने की कार्यवाही सम्पादित करावें तथा उपरोक्त आदेशानुसार नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोली दाताओं को सूचित करावें।
7. सम्बन्धित लेखा सदस्य श्री बंशीधर वर्मा, सहायक लेखाधिकारी –I सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर

26.5.16
उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग